न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2021 **दायर दिनांकः 01/03/2021**

उनवान

कंवरलाल आयु 58 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति बैरवा (चमार) निवासी दड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

आदेश

दिनाकः 15 /03/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 क आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खेडली बांसला पटवार हल्का बरला तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 26 के ख०न० 562 का रकबा 0.84 है०, का कुल किता 1 का रकबा 0.84 है० स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नवीन जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस पेश है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी के स्वामित्व की ख0नं0 562 का रकबा 0.84 है0 आराजी पर आने—जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थी राजस्थान सरकार के दर्ज खाता संख्या 1 के ख0नं0 592 का रकबा 1.05 है0 किस्म बरानी में होकर है। प्रार्थी उसी रास्ते पर होकर 15—20 वर्ष से निकलता चला आ रहा है। इस रास्ते को प्रार्थी खेत पर आने —जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने के उपयोग में लेता चला आ रहा हैं। परन्तु अप्रार्थी प्रार्थी को उक्त रास्ते पर होकर निकलने में व्यवधान उत्पन्न करता हैं। तथा 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही करने की धमकी देता है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य [illegible] जाना संभव नही है। अगर अप्रार्थी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में [illegible] गया तो [illegible] अपने स्वामित्व की आराजी पर आने —जाने से वंचित हो जावेगा। जिससे प्रार्थी [illegible] को नही हंकवा [illegible] सिंचाई नही कर सकेंगा। तथा आराजी पडत रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पडेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:56:43 IST
Reason: SelfAttested

होना संभव नहीं है तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद –विवादों में उलझना पडेगा। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता हैं कि अप्रार्थी प्रार्थी को आराजी पर आने जाने हेतु ख0 नं0 592 का रकबा 1. 05 है0 किस्म बरानी में 30 फीट की चौडाई के रास्ता खुलासा रखें जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थी को उसके खेत पर पूर्व की भांति आने जाने के रास्ते के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले। प्रार्थी को रास्ते का उपयोग–उपभोग पूर्व की भांति करने देवें। प्रार्थी की आराजी मुख्य सडक से अप्रार्थी की आराजी के बाद स्थित है तथा प्रार्थी के आराजी पर आने –जाने का अन्य कोई रास्ते का विकल्प मौजूद नहीं है। एकमात्र यह ही रास्ता है। इसलिए रास्ते की एवज में प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने को तैयार है। विवादाग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल खेडली बांसला तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसके स्वामित्व की आराजी ख0नं0 562 का रकबा 0.84 है0 पर आने –जाने का रास्ता अप्रार्थी के ख0नं0 592 का रकबा 1.05 है0 किस्म बरानी में से 30 फीट चौडाई का रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे। प्रार्थी 30 फीट चौडे रास्ते की एवज में मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने के लिए तैयार हैं।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई तथा वर्तमान मौके की रिपोर्ट ली गई प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 जमाबदी में दर्ज प्रविष्टि अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 जमाबदी में दर्ज रिकार्ड अनुसार स्वीकार है। शेष प्रार्थी साबित करे। प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 जानकारी के आभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 जानकारी के आभाव में अस्वीकार है प्रार्थी साबित करे। प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 वादी एवं प्रतिवादीगण एवं उक्त वर्णित आराजी तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यो पर आधारित है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 प्रकरण शुल्क से संबंधित है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 8 अन्त करण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किए जावेगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:56:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः राजकीय भूमि मे से प्रार्थी को डी.एल.सी दर की दुगनी राशि जमा कराने पर रास्ता दिया जाए तो कोई आपत्ति नही है।

मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि प्रकरण में ख0 न0 562 का मौका देखा गया मुताबिक रेकार्ड ख0न0 562 सडक एन.एच 90 से 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। ख0 न0 562 एवं सडक के मध्य ख0न0 592 रकबा 1.05 है0 सिवायचक बंजड भूमि दर्ज है, प्रार्थी कंवर लाल पुत्र हीरालाल अपने खाते की कृषि भूमि ख0न0 562 पर आने जाने हेतु ख0न0 592 के दक्षिण छोर से होकर आता जाता है जो सडक के मध्य से लगभग 87 मीटर दूरी पर है। ख0न0 592 रकबा 1.05 है0 भूमि वर्तमान में खाली है मौका रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उभयपक्ष की बहस सुनी वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसके स्वामित्व की आराजी ख0नं0 562 का रकबा 0.84 है0 पर आने –जाने का रास्ता अप्रार्थी के ख0नं0 592 का रकबा 1.05 है0 किस्म बरानी में से 30 फीट चौडाई का रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे। प्रार्थी 30 फीट चौडे रास्ते की एवज में मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने के लिए तैयार हैं तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी कंवर लाल पुत्र हीरालाल अपने खाते की कृषि भूमि ख0न0 562 पर आने जाने हेतु ख0न0 592 रकबा 1.05 है0 के दक्षिण छोर से होकर आता जाता है, ख0न0 592 रकबा 1.05 है0 भूमि वर्तमान में खाली है। जिसमे से 30 फीट चौडे रास्ता लेना चाहता है। न्यायहित में प्रार्थी को अपने स्वामित्व की आराजी ख0नं0 562 का रकबा 0.84 है0 पर आने –जाने का रास्ता रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम खेडली बांसला के ख0नं0 562 का रकबा 0.84 है0 पर आने –जाने हेतु ग्राम खेडली बांसला की ख0न0 592 रकबा 1.05 है0 के दक्षिण छोर से आने जाने हेतु 9 मीटर चोड़ा 97 मीटर लम्बा यानि 0.09 है0 रास्ता नियमानुसार DLC दर की दुगनी राशि जमा करवाने पर राजस्व रिकोर्ड में रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार पालना करावें।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 15/03/[illegible] मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:43 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां